


मानवीय समता के प्रतिष्ठाता

महर्षि कार्ल मार्क्स



—पं. श्रीराम शर्मा आचार्य



मानवीय समता के प्रतिष्ठाता—

महर्षि कार्लमार्क्स

उस समय जर्मन सरकार जन-जाग्रति का दमन करने पर उतारू हो गई थी। योरोप में क्रांति की जो हवा फैल रही थी, वह जर्मनी में भी पहुँच गई थी। जनता चाहती थी कि देश का शासन सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखकर किया जाय और शासन संस्था में प्रजा के प्रतिनिधियों को उचित स्थान मिले। पर निरंकुश शासक इस प्रकार की माँग को 'छोटे मुँह बड़ी बात' समझते थे और इसलिए जनता के मुँह को तरह-तरह से बंद करने की कोशिश कर रहे थे।

ऐसे समय में कार्लमार्क्स (सन् १८१८ से १८८३) ने सरकार का मुकाबला करने के लिए 'राइनिश जीतुंग' नामक अखबार का संपादन कार्य ग्रहण किया। उसकी लेखनी ऐसी जोरदार थी और वह सरकार की गलत नीतियों पर ऐसे करारे प्रहार करता था कि कुछ ही समय में उसका नाम दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गया। पर साथ ही सरकारी 'सेंसर' की क्रूर दृष्टि भी उस पर अधिकाधिक पड़ने लगी और उस पत्र के कार्य में तरह-तरह की विघ्न-बाधाएँ डाली जाने लगीं। तो भी मार्क्स घुमा-फिराकर ऐसे ढंग से लिखता था कि वह सेंसर के फंदे से बच जाता था। अंत में सरकार ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और 'राइनिश जीतुंग' को राजद्रोही बतलाकर जबर्दस्ती बंद कर दिया।

जिस समय मार्क्स पर यह विपत्ति आई तो वह सरकारी अधिकारियों का कोपभाजन बनकर आजीविका से ही वंचित नहीं हो गया, वरन् उसकी स्वाधीनता भी खतरे में पड़ गई। उसके मित्रों ने उसे देश से बाहर चले जाने की सलाह दी। उसी समय वह जेनी वेस्ट फेलन के साथ परिणय-सूत्र में आबद्ध हुआ, जिससे उसका परिचय बाल्यावस्था में ही था और आठ वर्ष पूर्व विवाह का निश्चय

भी हो चुका था। वह नीवेस्टफेलन नामक जर्मनी के एक प्रतिष्ठित राज्याधिकारी की पुत्री थी और मार्क्स से आयु में चार वर्ष बड़ी थी। इस कारण मार्क्स के माता-पिता ने इस संबंध को न करने के लिए उसे समझाया था और अन्य संबंधियों ने भी ऐसी ही सलाह दी थी। पर मार्क्स ने उत्तर दिया कि जब पुरुष अपनी आयु से बहुत छोटी कन्याओं के साथ विवाह करते रहते हैं तो यदि मैं अपनी आयु से कुछ बड़ी लड़की के साथ विवाह करता हूँ तो इसमें क्या बुराई है ? जब हमारा प्रेम सच्चा है तो एक मामूली सामाजिक परंपरा के आगे सिर झुकाने की क्या आवश्यकता ? बस उसने निःसंकोच भाव से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी को लेकर सीधा फ्रांस चला गया और वहाँ रहकर वही राजनैतिक कार्य करने लगा, जिसके लिए उसे अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

कार्लमार्क्स के इस कार्य से उसकी दो विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। एक यह कि मनुष्य को अपना जीवन किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्पित करना चाहिए और उसको सिद्ध करने में जो भी कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ आवें उनको सहर्ष सहन करना चाहिए। उसने जनता पर होने वाले अन्याय, अत्याचारों और शक्तिसंपन्न लोगों द्वारा उसका शोषण होने के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। इस कार्य में बड़े लोगों द्वारा बाधा डाला जाना और आंदोलनकारी को कुचल देने की कोशिश करना स्वाभाविक ही था। पर मार्क्स ने इसकी कुछ परवाह न की और घर बार छोड़ने, देश-विदेश में जगह-जगह मारे-मारे फिरने के कष्टों को सहकर भी, वह अपने उद्देश्य से जीवन के अंतिम क्षण तक विचलित न हुआ।

दूसरी विशेषता यह भी थी कि जिस प्रकार राजकीय अन्यायों के मुकाबले में क्रांति का झंडा उठाया, उसी प्रकार समाज की अंध परंपराओं के आगे भी उसने सिर नहीं झुकाया। उसने अपना विवाह अन्य लोगों के विरोध और हँसी करने के बावजूद, अपनी इच्छा और पसंद से किया और आजन्म उसका निर्वाह ऐसी खूबी के साथ किया कि लोग उनके दांपत्य-जीवन को उदाहरणस्वरूप मानने लगे।

मार्क्स की पत्नी जेनी भी एक आदर्श महिला थी। ऐसे क्रांतिकारी और त्यागी व्यक्ति को, जिसका जीवन-मार्ग ही कंटकाकीर्ण और तूफानों से भरा था, स्वेच्छा से पतिरूप में वरण करना उस जैसी मनस्वी स्त्री का ही काम था। अन्यथा वर्तमान समय में तो सभी स्त्रियाँ सबसे पहले यही अभिलाषा करती हैं कि उन्हें ऐसा पति प्राप्त हो, जो उनकी समस्त इच्छाओं और शौकों की अच्छी तरह पूर्ति करता रहे और उन्हें कम से कम श्रम करना पड़े। इसके विपरीत जेनी, जो मार्क्स की अपेक्षा एक उच्च और संपन्न परिवार की पुत्री थी, मार्क्स की समस्त विपत्तियों में इतनी अच्छी तरह सहयोग देती रही कि लोग मार्क्स की महानताओं का अधिकांश श्रेय उसी को देते हैं।

जब मार्क्स की मृत्यु से दो साल पहले सन् १८८१ में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसी समय उसके सबसे बड़े साथी और सहयोगी ऍंजिल्स के मुख से ये शब्द निकले—“मार्क्स भी मर गया।” जो लोग उसके गृह-जीवन से परिचित थे और जानते थे कि वह अपनी पत्नी के ऊपर कितना अवलंबित रहता था, उनको इस कथन में कुछ भी अत्युक्ति न जान पड़ी। जिस समय उसकी पत्नी की लाश कब्र में रखी जा रही थी तो वह ऐसा शोकाकुल हो गया कि यदि ऍंजिल्स जोर से उसका हाथ न पकड़ लेता तो वह निश्चय ही नीचे कूदकर अपने प्राण दे देता। यह घटना हमको ‘वज्र से भी कठिन और फूल से भी कोमल’ स्वभाव की याद दिलाती है। जो व्यक्ति राजनैतिक क्षेत्र में बड़े से बड़े शक्तिशालियों के सामने सिर नीचा न करे और भीषण क्रांति के समय नर-रक्त की होली होते देखकर जिसका दिल न काँपे, वह स्त्री और बच्चे की मृत्यु पर इतना विह्वल हो जाय कि प्राण त्यागने लगे, यह एक आश्चर्यजनक बात जान पड़ती है। निःसंदेह यह महापुरुषों के चरित्र की एक विशेषता है और कार्लमार्क्स के जीवन-वृत्त में यह स्थान-स्थान पर दिखाई पड़ती है।

विद्यार्थी जीवन—

कार्लमार्क्स का जन्म किसी बहुत बड़े वंश में नहीं हुआ था, न उसका परिवार विद्या अथवा धन की दृष्टि से प्रसिद्ध था। इसके विपरीत उसका जन्म यहूदी जाति में हुआ था, जिसे उस समय योरोप में नीची निगाह से देखा जाता था और उस पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगते रहते थे। जर्मनी में ही उन दिनों यह नियम था कि कोई यहूदी सरकारी नौकरी में प्रविष्ट नहीं हो सकता। कुछ ऐसे ही कारणों से मार्क्स के पिता ने, जो सरकारी अदालत में वकील का धंधा करते थे, यहूदी धर्म के बजाय ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। यद्यपि मार्क्स को यहूदी धर्म से किसी प्रकार का प्रेम न था और वह ईसाई भी नाम मात्र के लिए ही था, तो भी न्याय की दृष्टि से वह यहूदियों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को बहुत बुरा समझता था और जब कभी मौका आता था, तो इसकी कड़ी आलोचना करता था।

मार्क्स का पिता उसे कानून की शिक्षा दिलवाकर अपनी ही तरह एक वकील बनाना चाहता था और इसके लिए उसे १८ वर्ष की आयु में बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिल भी करा दिया गया, पर उसकी रुचि आरंभ से ही कविता और दर्शन की तरफ थी, जो एक प्रकार से कानून के विपरीत विषय है। उसके पिता ने उसे इस तरह के निरुद्देश्य और क्षणस्थायी काम करने के लिए फटकारा और दार्शनिक वितंडावाद से बचे रहने का उपदेश दिया। उसका कहना था कि मार्क्स पहले भावी जीवन की तरफ ध्यान दे, अपनी सारी शक्ति से विश्वविद्यालय की परीक्षा ऊँची श्रेणी में पास करने का प्रयत्न करे और ऊँचे पद वाले लोगों से मेल-जोल रखे।

इसमें संदेह नहीं कि संसार की गतिविधि को देखते हुए मार्क्स के पिता ने वही उपदेश दिया था, जो एक समझदार और हितैषी पिता अपने पुत्र को दे सकता है। पर यहाँ पुत्र किसी और ही धातु का बना था। उसे बड़ी सरकारी नौकरी या लखपति, करोड़पति बनने की कामना नहीं थी, वरन् उसके भीतर ऐसे शोषणकर्ताओं के शानदार भवनों को जलाकर भस्म कर देने की भावना भड़क रही

थी। वह उन लोगों में से था, जिनको स्वभाव ही से किसी की अधीनता और अन्याय स्वीकार नहीं होते। उन दिनों लिखी एक कविता में उन्होंने कहा था—

“हमको अपने कामों में साहस दिखलाना चाहिए और कभी अपने पवित्र कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। न हमको कभी निराश होकर अपने संकल्प और प्रयत्नों में ढीलापन आने देना चाहिए। हमको निकृष्ट पराधीनता में फँसकर कभी अपने भयभीत जीवन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, वरन् संग्राम में प्रविष्ट होकर कुछ काम करके दिखाना चाहिए।”

सन् १८३८ में पिता का देहांत हो जाने के पश्चात् मार्क्स ने कानून की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी और बड़े परिश्रमपूर्वक दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने लगा। सन् १६४९ में उसने दर्शनशास्त्र संबंधी एक महत्त्वपूर्ण निबंध लिखा, जिससे उसे पी० एच० डी० की उपाधि मिल गई। उनकी इच्छा थी कि इसके पश्चात् किसी बड़े विद्यालय में दर्शनशास्त्र का व्याख्यानदाता बनकर इस विषय में जहाँ तक संभव हो अधिकतम प्रगति करें। पर उन दिनों जर्मनी के विश्वविद्यालयों में मार्क्स के समान स्वतंत्र प्रकृति के मनुष्य को स्थान मिल सकना असंभव था। अब उनके सामने स्वतंत्र रूप से लेखन-व्यवसाय करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न रहा।

क्रांति के लिए उद्योग—

जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है एक लेखक या पत्रकार की हैसियत से मार्क्स ने सबसे पहले ‘राइनिशजीतुंग’ का संपादन-कार्य किया। पर वह इस काम को पाँच महीने तक ही कर सका कि उसे सरकारी दमन नीति का शिकार होकर जर्मनी से भागना पड़ा। फ्रांस पहुँचकर, वह विशेष रूप से साम्यवाद का अध्ययन करने लगा और साथ ही मजदूर कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारी नेताओं से भी संपर्क बढ़ाने लगा। उस समय उसने अपने एक मित्र को जो पत्र भेजा था, उसमें तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था पर विचार करते हुए लिखा था—

“वर्तमान समय में व्यवसाय-वाणिज्य की प्रथा, संपत्ति की लालसा और सर्व साधारण की लूट के फल से समाज के भीतर

जैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है, वैसी स्थिति जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी उत्पन्न नहीं हुई है। प्राचीन प्रणाली इस अवस्था का सुधार नहीं कर सकती, क्योंकि उस प्रणाली में सुधार कर सकने या नवीन वस्तु उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है। वह केवल एक स्थान पर स्थिर रहकर भोग करना ही जानती है।”

हम मानते हैं कि मार्क्स के उपर्युक्त उद्गार अधिकांश में भावना-प्रसूत हैं और वैज्ञानिक साम्यवाद का आभास उनमें नहीं मिलता। पर कुछ ही दिनों में उसने इतिहास और समाज के मूलभूत सिद्धांतों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उन्हीं दिनों उसने ‘न्याय-दर्शन’ की आलोचना पर एक निबंध लिखा था, जो अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण और स्वतंत्र विचारों से भरा हुआ और उसके आंतरिक भावों का परिचायक था। इसमें मार्क्स ने प्रश्न उठाया था कि ‘कौन-सा दल जर्मनी का उद्धार कर सकता है?’ इसका स्वयं ही उत्तर देते हुए उसने लिखा—“देश में क्रांति और उसका उद्धार उस दल के द्वारा कैसे हो सकता है, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो? जो दल वर्तमान धनसत्तावादी समाज के अंदर होगा, पर जिसका अस्तित्व धनी लोगों से पृथक् रहेगा, वही वर्तमान सामाजिक प्रणाली को तोड़ सकेगा। टूटने के फल से श्रमजीवी दल की उत्पत्ति होगी और उसके द्वारा एक नवीन सामाजिक प्रणाली का उदय होगा। श्रमजीवी दल का आविर्भाव उद्योग-धंधों की वृद्धि के लिए ही होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक दरिद्रता द्वारा ही नहीं, वरन् कृत्रिम रूप से पैदा की हुई दरिद्रता द्वारा होती है। यह दल सामाजिक नियमों के भार से दबे हुए जन-साधारण द्वारा, नहीं वरन् समाज के टूटने के फल से जाग्रत् जन-समूह द्वारा बनता है। जब श्रमजीवी दल सामाजिक प्रणाली के भंग होने की घोषणा करता है, तो वह वास्तव में गुप्त रीति से अपने अस्तित्व को सूचित कर देता है।” यह वास्तव में उसके भावी कार्यक्रम की घोषणा ही थी।

जब मार्क्स ने जर्मनी में विद्रोह फैलाने के लिए ऐसा प्रचार कार्य आरंभ किया, तो वहाँ की सरकार चौकन्नी हो गई और उसने फ्रांस की सरकार से इसकी शिकायत की। फ्रांसीसी सरकार ने

मार्क्स को अपने यहाँ से निकल जाने की आज्ञा दे दी। इस पर वह बेलजियम की राजधानी ब्रुसेल्स चला गया। वहाँ पर भी वह मजदूरों के संगठन की चेष्टा करता रहा और 'लीग ऑफ जस्ट' (न्याय संघ) नामक संस्था में शामिल होकर, योरोप के समस्त देशों में उसके द्वारा प्रचार कार्य की चेष्टा करने लगा। इस संस्था का प्रधान कार्यालय लंदन में था। सन् १८४७ में जब उसका एक प्रतिनिधि मार्क्स से मिला और वह उसमें शामिल होने को तैयार हो गया तो उसका नाम बदलकर 'लीग ऑफ कम्युनिस्ट' रखा गया। पहले यह एक प्रकार की षड्यंत्रकारी सभा थी, पर मार्क्स ने उनमें से षड्यंत्रकारीपन की सब बातें निकाल दीं और उसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर-संगठन का एक साधन बना दिया। उसमें भाग लेने वाले अधिकांश विदेशों में काम करने वाले जर्मन मजदूर ही थे और वे मार्क्स के प्रचारित सिद्धांतों में श्रद्धा रखकर उसके कार्य में सहायता देने को सदैव तत्पर रहते थे।

“कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो” (श्रमजीवियों का घोषणा पत्र) —

इस संस्था की तरफ से पहली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सन् १८४७ में लंदन में की गई। इसमें योरोप के प्रायः सभी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसकी तरफ से एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें संसार के मजदूरों की परिस्थिति और उनकी माँगों के संबंध में कुछ मूल बातें दी गई थीं। यह घोषणा-पत्र संस्था की प्रेरणा से मार्क्स और ऐंजिल्स ने ही तैयार किया था।

इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि वर्तमान समय में दुनिया के व्यापारिक क्षेत्र में जो पूँजीवादी प्रथा फैली हुई है, उसके फलस्वरूप समाज दो भागों में बँट गया है। एक पूँजीपति या मालिक और दूसरा श्रमजीवी या मजदूर। कुछ समय तक तो उद्योग-धंधों के विकास के लिए ये दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, पर शीघ्र ही ऐसा अवसर आ जाता है, जब उनके स्वार्थ एक-दूसरे से टकराने लगते हैं।

पूँजीपति अपने को कल-कारखाने का एकमात्र स्वामी मानकर उनसे अधिक से अधिक नफा कमाने का उपाय करता रहता है।

इसके लिए वह पैदावार को अधिक से अधिक बढ़ाने और खर्च को कम से कम घटाने की भी कोशिश करता है। उधर मजदूर समझता है कि उद्योग-धंधों के विकास में उनका भी पूरा हाथ है और पैदावार की वृद्धि मुख्यतः उसके श्रम पर ही तो निर्भर है। पर वर्तमान समय में जायदाद संबंधी जो नियम समाज में प्रचलित हैं, उनके अनुसार तैयार होने वाली सामग्री पर अधिकार मालिक कहलाने वाले व्यक्ति अर्थात् पूँजीपति का ही रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह उसके वितरण पर ध्यान न देकर अपने नफा पर ही देता है। समाज के किस सदस्य को उसकी आवश्यकता है अथवा कौन व्यक्ति उसके अभाव के बिना कष्ट पा रहा है—मृत्यु मुख में प्रवेश कर रहा है, इसका उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। यद्यपि सुनने में यह बात कुछ आश्चर्यजनक जान पड़ती है, पर वास्तविक स्थिति यह है कि इस पूँजीवादी प्रणाली में जो व्यक्ति वर्ष भर में सौ मन अनाज पैदा कर देता है, वही अनेक बार आधा पेट खाकर गुजर करता है और जो कारखाने में नित्य-प्रति तीस-चालीस गज कपड़ा बना देता है, वह वस्त्रों के अभाव में चिथड़ा लपेटकर काम चलाता है।

इस परस्पर विरोधी स्थिति का रहस्य समझाते हुए मार्क्स ने जो व्याख्या की है, उसे 'अतिरिक्त मूल्य' (सरप्लस वैल्यू) का सिद्धांत कहते हैं। उसका कहना है कि जितनी पूँजी किसी कारोबार में लगाई जाती है, वह दो भागों में बँटी होती है। एक भाग मकान, मशीन, औजार, कच्चा माल में लगाया जाता है और दूसरा भाग काम करने वाले मजदूरों, कार्यकर्ताओं के वेतन के लिए रखा जाता है। पहले भाग की 'अचल पूँजी' और दूसरे को 'चल पूँजी' कहा जा सकता है। पहले भाग को अचल पूँजी कहने का कारण यह है कि इसके द्वारा वस्तुओं के मूल्य में जितनी वृद्धि होती है, उतना ही खर्च भी होता है। इस कारण इसको 'निष्क्रिय भाग' भी कहा जा सकता है। कर्मचारियों के वेतन में जो पूँजी लगाई जाती है, उसको 'चल पूँजी' कहने का कारण यह है, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता रहता है और वह लागत से भी अधिक मूल्य उत्पन्न करती है।

इस "अतिरिक्त मूल्य" को ही साधारण बोलचाल में 'नफा' कहते हैं। इसका आशय यह है कि मजदूर को अपने जीवन-निर्वाह के लायक काम करने के सिवाय मालिक के लिए जो अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, वही अतिरिक्त मूल्य के स्वरूप में प्रकट होता है। जिस मजदूर को चार रुपये रोज मजदूरी के मिलते हैं। वह चार रुपये का काम तो चार घंटे में कर देता है, पर कारखाने का मालिक उसी मजदूरी में सात या आठ घंटे काम कराता है। यह तीन या चार घंटे का अतिरिक्त श्रम वस्तु के मूल्य में मिला दिया जाता है। पूँजीपति उस वस्तु में जितना मूलधन लगाता है, उसी के अनुपात से वह अपना नफा भी उसमें बढ़ा देता है।

अपने इस 'नफा' को बढ़ाने के लिए पूँजीपतियों ने नई-नई विधियाँ निकाली हैं, जिनसे उनको तो अधिक लाभ होने लगा, पर मजदूरों की स्थिति अधिक परावलंबी बन गई। उन्होंने देखा कि अगर काम को अनेक हिस्सों में बाँटकर प्रत्येक हिस्से को मजदूरों के अलग-अलग दल से कराया जाय तो काम ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई मजदूर पूरी चीज बनाने के बजाय सिर्फ उसके एक ही भाग को बनावे, तो वह उस काम को जल्दी सीख जाता है और ज्यादा सफाई व तेजी से काम कर सकता है। इस प्रकार 'श्रम-विभाग' (डिवीजन ऑफ लेबर) की प्रणाली आरंभ हुई, जिसके फल से श्रमजीवी, कारीगर के बजाय एक जीवित यंत्र बन गये। इस श्रम-विभाग के कारण अधिक बढ़िया औजारों और यंत्रों की आवश्यकता पड़ी और इंजीनियरों का ध्यान नवीन मशीनों के बनाने की तरफ जाने लगा। इसके साथ ही जब माल ज्यादा तैयार होने लगा, तो उसको बेचने के लिए दूर-दूर भेजने की जरूरत पड़ी और माल ढोने के नये साधनों, जैसे जहाज, पक्की सड़कें, रेल, मोटर और ट्रक आदि की वृद्धि होने लगी।

पर दूसरी ओर कारखानों के भीतर एक दूसरी ही धारा बह रही थी। काम करने के घंटों के बढ़ने और अधिक तेजी से काम करने के कारण शक्ति अधिक व्यय होती थी और इससे श्रमजीवियों में असंतोष फैलने लगा। वे संगठित होकर अपनी दशा सुधारने की

चेष्टा करने लगे। जब पूँजीपतियों पर मजदूरों का दबाव पड़ने लगा तो ऐसी नई-नई मशीनें तैयार की जाने लगीं जिन पर हर व्यक्ति सहज में काम कर सके। जिन श्रमजीवियों को अपनी कारीगरी पर अभिमान था और जो मालिकों से लड़ते-झगड़ते थे, उनको हटाकर औरतों और बच्चों को भरती किया गया और कुछ को वैसे डरा-धमका कर राजी कर लिया गया। इस प्रकार उद्योग-धंधों की वृद्धि तो बहुत हो गई, पर मजदूरों की दशा गिरती गई। उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा।

श्रमजीवी आंदोलन और सरकारी कानूनों के कारण मजदूरों का वेतन बढ़ाना पड़ा और अन्य सुविधाएँ भी देनी पड़ीं, पर साथ ही उद्योगपतियों की मशीनों की भी आश्चर्यजनक रूप से उन्नति होती गई और मजदूरों को लाचार होकर पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से काम करना पड़ा। अब उनको एक घंटे में उतना काम करना पड़ता था जितना पहले डेढ़ या दो घंटे में किया जाता था। साथ ही मजदूरी या वेतन में जितनी वृद्धि की जाती थी, पूँजीपति तैयार सामान का मूल्य भी उतना ही बढ़ाते जाते थे। इसलिए मशीनों और अन्य वैज्ञानिक विधियों की बहुत अधिक उन्नति हो जाने पर भी उसका लाभ श्रमजीवी वर्ग या सामान्य जनता को बहुत कम मिला। वह समस्त लाभ अधिकांश में पूँजीपतियों की तिजोरियों में ही पहुँचता गया और वे लखपति से करोड़पति और फिर उससे भी अरबपति बनते चले गये।

बेकारी की वृद्धि—

जब पूँजीपति वर्ग की संपत्ति इस प्रकार दिन पर दिन बढ़ने लगी तो उसका कुप्रभाव सामान्य जनता पर, विशेषतया अल्प साधनसंपन्न लोगों पर बहुत बुरा पड़ने लगा। चीजों का भाव महँगा होने से उनकी क्रय-शक्ति घट गई और बाजार में सब प्रकार की सामग्री की बहुतायत होने पर भी, वह उसे खरीद सकने में असमर्थ हो गये। जब कारखानों में बने माल की बिक्री कम पड़ गई और पूँजीपतियों के गोदाम तैयार माल से भर गये, तो उन्होंने कारखानों को बंद कर दिया या सप्ताह में दो-तीन दिन ही चलाने लगे। इससे

हजारों-लाखों कर्मचारी बेकार हो गये, लाखों की आमदनी और भी घट गई और उनको अत्यंत कष्ट का जीवन व्यतीत करने को बाध्य होना पड़ा।

मार्क्स और उसके सहकारियों ने जब इस परिस्थिति पर विचार किया, तो वे इसी सिद्धांत पर पहुँचे कि इस दुरावस्था का कारण पूँजीपतियों का अनुचित नफा और जीवनोपयोगी सामग्री के वितरण की गलत व्यवस्था है। आज हालत यह है कि जरूरतमंद की चीज नहीं मिलती और जिसको उसकी आवश्यकता नहीं उसके पास भरी पड़ी रहती है। एक तरफ जखीरेबाज व्यापारी लाखों मन अनाज गोदामों में बंद कर देते हैं, ताकि महँगी होने पर उसे अधिक से अधिक दामों में बेचें और दूसरी तरफ उस गोदाम से पचास गज की दूरी पर रहने वाले गरीब लोग अन्नाभाव से आधा, चौथाई पेट खाकर समय निकालते रहते हैं। कपड़े के थोक व्यवसायियों के यहाँ लाखों गज कपड़ा बरसों तक तालों के भीतर रखा रहता है, जबकि उसी नगर में हजारों नर-नारी और बच्चे-बूढ़े कपड़े के बिना बड़ी कठिनाई से लज्जा-निवारण कर पाते हैं। यह हालत स्पष्टतः अस्वाभाविक तथा न्यायविरुद्ध है और इसका परिणाम असंतोष, अशांति, मार-काट के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।

इस स्थिति को सुधारने का उपाय यही है कि वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाय। आज तो कारखाने का स्वामी या गोदामों में माल जमा कर लेने वाला अपने को उसका सोलह आना मालिक समझता है और जैसे अपने लिए फायदेमंद समझे, उसको बेचना या रोके रखना अपना अधिकार मानता है। वास्तव में यह एक गलत सिद्धांत है। श्रमजीवी दल का कहना है कि कोई भी वस्तु किसी एक व्यक्ति या छोटे से समुदाय द्वारा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न उसे उसकी इच्छानुसार वितरण का अधिकार होना चाहिए। देश में जो कुछ बनता है, उत्पन्न होता है या बाहर से मँगाया जाता है, वह समस्त समाज के सहयोग से ही संभव होता है और समाज की आवश्यकता तथा हित को दृष्टिगोचर रखकर ही उसके वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पूँजीवाद का अंत—

यद्यपि इस सामाजिक दुरावस्था के सुधार के लिए विचारशील विद्वान् पिछले-दो सौ वर्षों से कितनी ही योजनाओं और सिद्धांतों का प्रचार करते आ रहे हैं, पर अभी उनको इसमें बहुत कम सफलता मिली है। कितने ही नेताओं ने इसके लिए साम्यवाद की विभिन्न शाखाओं का प्रतिपादन किया और विभिन्न देशों में कुछ समय तक इसका प्रचार भी होता रहा, पर उनके सिद्धांत अधिकांश में काल्पनिक ही सिद्ध हुए। मार्क्स ने इनका बड़े जोर से खंडन किया है और साम्यवाद को काल्पनिक क्षेत्र से निकालकर वैज्ञानिक रूप दिया है। उसने पूर्ववर्ती आर्थिक प्रणालियों का विस्तार से वर्णन करते हुए पूँजीवाद (कैपिटलिज्म) के जन्म, वृद्धि और विकास पर बड़ी स्पष्टता से प्रकाश डाला है और साथ ही उन कारणों पर भी प्रकाश डाला है, जिससे अंत में उसका खात्मा हो जाता है। उसका कहना है कि पूँजीवाद के नाश का बीज उसके भीतर ही छिपा होता है और जब वह बढ़ते-बढ़ते चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तो श्रमजीवी वर्ग और उसके नेताओं में से ही उसकी असामयिकता, अनुपयोगिता को सिद्ध करने वाले प्रकट हो जाते हैं। मार्क्स के इन महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का सारांश नीचे दिया गया है। पाठक देखेंगे कि उसने जो बात सौ वर्ष पहले कही थी, वह आज हमको ठीक उसी प्रकार चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही है।

“जैसे-जैसे पूँजीवादी प्रणाली की वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे ही उसके परस्पर विरोधी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वे लक्षण इस बात को साफतौर पर बतलाते हैं कि पूँजीवाद की उपयोगिता समाप्त हो चली और उसके गर्भ में से एक नवीन जीवन-मार्ग—एक उन्नत सामाजिक संगठन का जन्म होने की तैयारी हो रही है।”

“इन लक्षणों पर विचार करने से हमको मालूम होता है कि जब पूँजीवाद को बहुत अधिक उन्नति हो जाती है और मशीनों तथा कारखाने के मकानों आदि में पूँजी का बहुत अधिक हिस्सा खर्च होने लगता है, तो उनका नफा घट जाता है। यद्यपि उस समय में माल बहुत अधिक परिमाण में और कम खर्च में तैयार करा सकते हैं, पर

आदमियों का काम मशीनों से निकालने के कारण जनता निर्धन हो जाती है और बहुत थोड़ा माल खरीद सकती है। एक तरफ कारखानेदार माल की पैदावार को बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उसकी खपत कम होने लगती है। इसके फलस्वरूप एक 'व्यापार-संकट' उपस्थित हो जाता है। तब पूँजी बर्बाद होने लगती है, पैदावार को जबर्दस्ती रोका जाता है, उत्पादक शक्तियों की गति को धीमा किया जाता है और असंख्यों मजदूरों को 'लाक-आउट' के नाम पर बेकार बैठे रहना पड़ता है।"

इसके सिवाय उद्योग-धंधों के बढ़े हुए स्वरूप को स्थिर रखने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता अधिक हो जाती है, जो विशेषतः गर्म और सम-शीतोष्ण देशों से ही पूरी हो सकती है। उन देशों पर अपना प्रभाव कायम रखने के लिए पूँजीवादी देशों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है, भयंकर युद्धों की शुरुआत होती है और इस प्रकार असीम धन-जन की बर्बादी होने लगती है। इस प्रकार पूँजीवाद एक तरफ अधिक से अधिक नफा जमा कर संपत्ति की वृद्धि करने की योजना बनाता है और दूसरी तरफ अपने ही हाथ से उसे नष्ट करता है। यही उसका सबसे बड़ा परस्पर विरोधी लक्षण है, जिससे अंत में उसकी गति रुक जाती है।

अब दूसरी तरफ देखिये। पूँजीपति सदैव इस बात के लिए सचेष्ट रहते हैं कि उनके मजदूर सीधे-सादे और उनकी प्रत्येक आज्ञा को सिर झुकाकर मान लेने वाले हों। आरंभ में गाँवों से आने वाले अनजान और अनपढ़ मजदूर अधिकांश में होते भी ऐसे ही हैं। पर उद्योग-धंधों के बड़े-बड़े केंद्र कायम करके पूँजीपति स्वयं उनको संगठित होने का मौका देते हैं और इस प्रकार उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। ये विशाल कारखाने मजदूर-संगठन के केंद्र बन जाते हैं और इससे उनकी व्यक्तिगत शक्ति, संघ-शक्ति के रूप में बदल जाती है। फलस्वरूप मजदूरों के पारस्परिक भेदभावों का अंत हो जाता है और वे अपने को एक ही दल का सदस्य समझने लगते हैं, जिन सबका स्वार्थ या हित समान होता है। इस परिवर्तन के कारण किस प्रकार श्रमजीवी दल का उदय होता है और किस तरह वह

समाज की बागडोर को अपने हाथों में लेता है ? इसका वर्णन मार्क्स ने बड़े प्रभावशाली शब्दों में अपने इस ग्रंथ 'कैपिटल' में किया है। इस कई हजार पृष्ठों के महाग्रंथ को अनेक लोग 'मजदूरों की बाइबिल' के नाम से पुकारते हैं। उसमें भी कहा गया है—

“जब इस कार्यापलट करने वाली प्रक्रिया द्वारा पुराना समाज सिर से पैर तक खंड-खंड होने लगता है और साधारण मजदूर संगठित श्रमजीवी दल का रूप धारण कर लेते हैं, तो श्रम के सामाजिक रूप में भी नवीन परिवर्तन होने लगता है। इस दर्जे पर पहुँच जाने पर पूँजीपति मजदूरों को लूट नहीं सकते, वरन् स्वयं उनकी पूँजी की हानि होने लगती है। इसका एक बड़ा कारण पूँजीवाद की एक विषैली प्रवृत्ति भी होती है। एक बड़ा पूँजीपति कितने ही छोटे पूँजीपतियों को मार सकता है और इसके फल से पैदावार के साधनों पर दिन पर दिन थोड़े-से लोगों का अधिकार होता जाता है। इसके ही साथ श्रमजीवियों में सहयोग की वृद्धि होती जाती है। उनके संगठन विशाल बनते जाते हैं और उनकी शक्ति बढ़ती जाती है।”

“होते होते संसार भर का बाजार इनेगिने लोगों के हाथों में आ जाता है और एक प्रकार से वे ही बड़े-बड़े राष्ट्रों के मालिक और संचालक बन जाते हैं। दूसरी तरफ साधारण लोग दिन पर दिन कंगाल बनते जाते हैं और गुलामी में फँसते जाते हैं। पर साथ ही साथ श्रमजीवी दल में विद्रोह का भाव भी जोर पकड़ता जाता है। उनकी संख्या और शक्ति अधिक होती जाती है, उनमें अपने दल के अनुशासन का भाव बढ़ता जाता है और संगठन अधिकाधिक मजबूत होता जाता है। उद्योग-धंधों पर थोड़े से लोगों का अधिकार रहने से उन्नति की गति रुक जाती है।”

“अंत में उत्पत्ति के साधनों का एक केंद्र पर इकट्ठा होना और श्रम के सामाजिक रूप को मान्यता की वृद्धि ऐसे स्थान पर जा पहुँचती है, जहाँ कि उनका पूँजीवादी प्रणाली के साथ निर्वाह होना असंभव हो जाता है—“उसी क्षण इस पूँजीवादी प्रणाली का अंत हो

जाता है, निजी जायदाद की प्रथा लुप्त हो जाती है और दुनिया का स्वत्व अपहरण करने वालों का सत्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है।”

भारतवर्ष और पूँजीवाद—

यद्यपि हमारा देश योरोप अमेरिका की अपेक्षा उद्योग-धंधों की प्रगति में पिछड़ा हुआ है, तो भी इधर कुछ वर्षों में भारतीय पूँजीपतियों ने भी पर्याप्त उन्नति की है और एक-एक उद्योगपति ५०-५० कारखानों का मालिक बन गया है। कुछ वर्ष पहले यहाँ सबसे बड़े धनवान् को 'करोड़पति' ही कहते थे, पर अब हमारे देश में भी 'अरबपति' लोगों के नाम सुनाई पड़ने लगे हैं। यह सब माया मजदूरों की ही है। मेहनत करने वाले अपनी बल-बुद्धि को होम कर बड़े-बड़े कारखानों तथा अन्य उद्योग-धंधों को सफल बनाते हैं, पर उनको कठिनता से पेट भरने लायक वेतन या मजदूरी मिलती है। शेष किसी न किसी उपाय से पूँजीपतियों के भंडार में पहुँच जाती है। यद्यपि उसमें से एक बड़ा भाग सरकार भी टेक्स के रूप में ले लेती है, पर वह भी अधिकांश में पूँजीपतियों की रक्षा और विस्तार के लिए फौज, पुलिस आदि में खर्च कर दिया जाता है।

पर जैसा मार्क्स ने कहा था, भारत का श्रमजीवी-वर्ग भी जाग्रत् और संगठित हो रहा है। वह अपने अधिकारों को पहचानने और माँगने लगा है। जब गाँव का एक अशिक्षित मजदूर कारखानों के प्रबंध में सम्मति देने की माँग करता है और संसार भर के मेहनत पेशा लोगों को अपना भाई समझकर 'मे डे' (अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसका प्रचार कार्लमार्क्स और उसके सहकारियों ने किया था) के दिन मजदूरों का लाल झंडा लेकर निकलता है, तब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भारत भी श्रमजीवी-वर्ग की क्रांति भावना से अछूता नहीं है और वह भी पूँजीवादी प्रणाली को हटाकर कोई अधिक न्याययुक्त वितरण की सामाजिक प्रणाली अपनाने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। वह कार्लमार्क्स का नाम भी जानता है और समझता है कि उसने श्रमजीवियों के अधिकार और सामाजिक न्याय की जो

घोषणा अब से सौ वर्ष पहले की थी, अब उसके सफल होने का समय आ पहुँचा है।

क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भाग—

मार्क्स क्रांतिवादी था। वह केवल साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करके अथवा लोगों को एक नयी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का संदेश देकर ही चुप नहीं हो गया, वरन् वह इस कार्य के लिए बल-प्रयोग का समर्थक था और अवसर आने पर उसने फ्रांस तथा जर्मनी के क्रांतिकारी संघर्षों के मौके पर पहुँचकर उनको बढ़ाने और सफल बनाने की पूरी कोशिश की। जन-समूह के अंतःप्रदेश में क्रांति का जो गंभीर निनाद होता रहता है, उसको सुनने के लिए वह सदा कान खोले रहता था। जिस काल में वह अपने नवीन समाज संबंधी सिद्धांतों का मसाला इकट्ठा कर रहा था, योरोप का वातावरण क्रांति की भावना से व्याप्त हो रहा था और जगह-जगह अशांतिपूर्ण घटनाएँ हो रही थी। सन् १८४२ में इंग्लैंड के श्रमजीवियों की विशाल हड़ताल हुई। इसके दो वर्ष बाद सिलीशिया के कपड़ा मजदूरों ने बलवा कर दिया। सन् १८४५-४६ में जर्मनी में साम्यवाद का जोर बहुत बढ़ गया और नये-नये सामयिक पत्र जनता में उत्तेजना फैलाने लगे। फ्रांस में भी साम्यवादी आंदोलन की बाढ़ आ गई। योरोप में चारों ओर कम्युनिज्म का विकराल भूत मुँह-बाये खड़ा दिखलाई पड़ने लगा।

इस आकस्मिक परिवर्तन का मुख्य कारण योरोप में कल-कारखानों की वृद्धि होना और उनके संपर्क से रेल, तार आदि का शीघ्रतापूर्वक निर्माण किया जाना था। जैसे-जैसे आधुनिक ढंग के उद्योग-धंधों की वृद्धि होने लगी वैसे ही जनता की आर्थिक दशा में अंतर पड़ने लगा। इनके फल से जनता में दरिद्रता बढ़ने लगी और लोग कम मजदूरी तथा वेतन-संबंधी कठोर नियमों के कारण उनका विरोध करने लगे। उस समय योरोप में यह आवाज उठ रही थी कि "कारखानों की वृद्धि के साथ कंगाली की भी वृद्धि होगी।" साथ में यह घोषणा की जाती थी कि "जनता को जितने अधिक राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, उतनी ही जल्दी समाज की प्रगति होगी।" जो कोई भी उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में रहता था, उसे यही

अनुभव होता था कि वहाँ राजनैतिक और सामाजिक क्रांतियों का आगमन हो रहा है।

मार्क्स ने इस रहस्य को पहले ही समझ लिया था। १८४३ में उसने अपने मित्र "रज" के नाम हालैंड से एक पत्र भेजा था, जिसमें भावी क्रांति की चर्चा की गई थी और लिखा था कि, जर्मनी के बादशाह फ्रैंडरिक विलियम की सरकार क्रांति-मार्ग पर अग्रसर हो रही है। "रज" को उसकी बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर कुछ ही समय बाद मार्क्स का कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ।

कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो, जिसका सारांश हम ऊपर दे चुके हैं। फरवरी १८४८ में प्रकाशित हुआ था और २२ फरवरी से क्रांति की आग योरोप में धँय-धँय करके जलने लगी। फ्रांस में पुराने शासन को लौटा दिया गया और उसकी जगह एक अस्थायी सरकार कायम हुई। जर्मनी में भी राज-सत्ता के विरुद्ध जगह-जगह उपद्रव होने लगे। उधर बेलजियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जनता ने प्रजातंत्रवादियों पर आक्रमण करके उनको अपमानित किया। इन दिनों मार्क्स ब्रुसेल्स में ही निवास कर रहा था और जर्मन सरकार के बार-बार कहने पर भी बेलजियम के अधिकारियों ने उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था। पर अब उनको भय मालूम होने लगा और उन्होंने मार्क्स को गिरफ्तार करके तुरंत उस देश से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया।

आर्थिक-संकट—

बेलजियम को छोड़कर मार्क्स पेरिस पहुँचा और वहाँ भी श्रमजीवी-आंदोलन की वृद्धि के लिए प्रयत्न करने लगा। इसी समय जर्मनी में हलचल बहुत बढ़ गई और मार्क्स ने अपना यह कर्तव्य समझा कि किसी प्रकार के खतरे की परवाह किये बिना, वहाँ जाकर उसकी सफलता के लिए उद्योग करे। वह अपने संगी-साथियों को लेकर 'कोलोन' नगर में पहुँच गया और 'न्यू राइनिश जीटुंग' के नाम से एक दैनिक पत्र प्रकाशित करने लगा। इसका प्रधान संपादक मार्क्स ही था और चार-पाँच प्रसिद्ध विद्वान् उसके सहकारी के रूप में काम कर रहे थे। यद्यपि यह साल भर भी नहीं चल सका, पर वह

जब तक जीवित रहा—क्रांति का झंडा ऊँचा किये रहा और अन्याय पीड़ित श्रमजीवियों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा। उसके कार्य की सराहना करते हुए मार्क्स के सबसे बड़े सहायक जिन्स ने लिखा है—

“उस समय प्रजातंत्रवादी समझे जाने वाले पत्रों में यही एक ऐसा था, जो श्रमजीवियों का पूर्ण रूप से समर्थन करता था। पेरिस में जुलाई १८४८ ई० में जो बलवा हुआ था, मार्क्स ने उसका बहुत जोर से खुलकर समर्थन किया। इस कारण से पत्र के तमाम हिस्सेदार नाखुश हो गए। एक-दूसरे प्रतिद्वंद्वी अखबार ने जिसका नाम “क्रजजीटुंग” था, “न्यू राइनिश जीटुंग” के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि ‘मार्क्स समस्त पवित्र समझी जाने वाली बातों पर आक्षेप करता है और शासन सत्ता का घोर विरोधी है, फिर चाहे वह सत्ता बादशाह की हो या पुलिस के एक मामूली से सिपाही की।’ इन सब बातों को वह वहाँ पर रहकर लिखता था, जहाँ पर सरकारी सेनाओं की छावनी में आठ हजार सिपाही सदा तैयार रहते थे। सन् १८४८ के अंत में कोलोन में मार्शल ला की घोषणा की गई और उस समय इस अखबार को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया।

“उधर जर्मनी का ‘न्याय विभाग’ इसके लेखों को बराबर गैर कानूनी करार देता रहता था और सरकारी वकील तो इसके ऊपर मुकदमा चलाने की सलाह देता रहता था। पर इनमें से किसी बात का इस पर प्रभाव न पड़ा और यह दृढ़तापूर्वक लगातार अपना प्रचार-कार्य करता रहा। जैसे-जैसे सरकार इसका दमन करती थी और विरोधी लोग इसकी निंदा फैलाते थे, वैसे-वैसे ही इसका आदर बढ़ता जाता था और लोग धड़ाधड़ ग्राहक बनते जाते थे। जब बादशाही सेना राइन लैंड पर अधिकार जमाने लगी, तो इस अखबार के प्रत्येक अंक के ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में लोगों से टैक्स अदा न करने और बल प्रयोग का मुकाबला उसी प्रकार शक्ति द्वारा करने की अपील की जाती थी। उस पर दो-बार मुकदमा चलाया गया, पर ‘जूरी’ ने उसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया। अंत में जब राइनलैंड के

प्रांत में सरकारी सेना बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठी कर ली गई और वहाँ की क्रांति दबा दी गई, तब सरकारी अधिकारियों ने इसे जबर्दस्ती बंद कर दिया। इसकी अंतिम संख्या १८ मई, १८४६ को 'रक्त अंक' के नाम से प्रकाशित की गई, जो कि लाल रंग के कागज पर छापी थी।"

'न्यू राइनिश जीतुंग' को इस प्रकार घोर कठिनाइयों में जीवित रखने के लिए मार्क्स को अपना सर्वस्व स्वाहा कर देना पड़ा। सरकारी दमन नीति का सामना करने में अखबार के ऊपर बहुत-सा कर्ज हो गया था और मार्क्स ने अपना सब कुछ बेचकर कर्जदारों का १५ हजार रुपया चुकाया। तब वह खाली हाथ पेरिस के लिए रवाना हुआ, पर वहाँ भी अब 'लाल प्रजातंत्र' के बजाय क्रांति विरोधी दल का बोलबाला हो चुका था। उन लोगों ने जुलाई सन् १८४६ में उसको पेरिस छोड़कर एक दूरवर्ती अस्वास्थ्यकर स्थान में रहने की आज्ञा दी। पर मार्क्स ने वहाँ जाने के बजाय फ्रांस को छोड़ देना ही अच्छा समझा। तब वह इंग्लैंड चला आया और फिर उसने अपना शेष जीवन लंदन में ही व्यतीत किया।

मार्क्स के क्रांतिकारी कार्य हमारे देश के नवयुवकों के लिए भी कम शिक्षाप्रद नहीं हैं। जिस समय प्रथम बार उसे जर्मनी से निकाला गया था, उसकी आयु केवल २५ वर्ष की थी और दूसरी बार जर्मनी से हटने के अवसर पर वह ३१ वर्ष का था। इतनी थोड़ी आयु में एक बड़े देश की सरकार से डटकर मुकाबला कर सकना और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव उत्पन्न कर सकना सहज काम न था। यह मार्क्स के साहस, परिश्रम और आत्म-त्याग का ही परिणाम था कि इतनी छोटी आयु में योरोप की शक्तिशाली सरकारों के मुकाबले में खड़ा हो सका और श्रमजीवी आंदोलन को वास्तविक रूप दे सका। भारतवर्ष में भी इस समय एक नहीं अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अन्याय जन साधारण को सहन करने पड़ रहे हैं। अगर हमारे नवयुवक उनको मिटाने का संकल्प करके खड़े हो जायें और अपनी शक्ति को सब प्रकार के अन्याय के विरुद्ध काम में लावें, तो वे

भी ऐसे जन हितकारी कार्य करके दिखला सकते हैं, जिससे उनका नाम और कीर्ति आगामी अनेक वर्षों तक कायम रह सके हैं।

कष्ट के दिन और सिद्धांत पर अटलता—

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, जर्मनी से चलते समय 'न्यू राइनिश जीतुंग' को जीवित रखने का प्रयास करते हुए मार्क्स पैसे-पैसे को मुँहताज हो चुका था। इसलिए लंदन पहुँचने पर उसे कई वर्ष तक बहुत आर्थिक कष्ट सहन करना पड़ा। यद्यपि उसका मित्र ऐंजिल्स उसका बहुत बड़ा सहायक था और यथाशक्ति उसके निर्वाह की व्यवस्था करता रहता था, तो भी सदा आंदोलन में लगे रहने के कारण मार्क्स को प्रायः अर्थ-कष्ट सहन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए सन् १८५२ में उसको कोलोन के कम्यूनिस्ट साथियों के मुकदमे के संबंध में एक ट्रेक्ट निकालने की आवश्यकता हुई, तो कागज के लिए अपना कोट बंधक रखना पड़ा।

सन् १८५१ से १८६० तक मार्क्स की आमदनी का खास जरिया अमेरिका के 'न्यूयार्क ट्रिब्यून' में छपने वाले लेख ही थे। वह इस पत्र का लंदन स्थित संवाददाता बन गया था और उसे प्रति लेख १५) रु० मिल जाते थे। पर यह रकम इतनी कम थी कि उसमें गुजारा हो सकना असंभव था। १८६२ में एक बार उसका आर्थिक कष्ट इतना बढ़ गया कि उसने रेलवे ऑफिस में क्लर्क की नौकरी के लिए दरखास्त दी। पर जिस प्रकार अपनी पुस्तकों की भाषा को समझ सकना साधारण मनुष्य के लिए कठिन है, उसी प्रकार उसकी हस्तलिपि भी इतनी घसीट और अस्पष्ट होती थी कि उसको पढ़ सकना बड़ा कठिन था और इस कारण उसको क्लर्क की नौकरी भी न मिल सकी।

सन् १८६७ में जर्मनी के शासकों ने मार्क्स के एक मित्र द्वारा उससे अपने यहाँ के सरकारी पत्र का संवाददाता बन जाने को कहा। इस काम में उसको काफी आमदनी हो सकती थी और उसका अर्थ-कष्ट पूर्णतः दूर हो सकता था। पर साथ ही इसका अर्थ यह भी था कि वह अपने जीवन सिद्धांतों को तिलांजलि दे दे। मार्क्स ने जर्मन सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वह सांसारिक

सुखों के लिए अपनी आत्मा का खून करने को हरगिज तैयार न हुआ।

मार्क्स के जीवन की इस घटना को पढ़कर हमको अपने देश के वर्तमान राजनैतिक 'नेताओं' की याद आती है, जो छोटे-मोटे लाभों के लिए अपने सिद्धांतों की हत्या करने में नहीं हिचकियाते और जिस दल से मिलने में अपना फायदा समझते हैं उसी में तुरंत सम्मिलित हो जाते हैं और पुराने दल के साथ की हुई लिखित प्रतिज्ञा का भी कुछ ख्याल नहीं करते। इस राजनीतिक सौदेबाजी के कारण ही इस समय हमारे राजनीतिज्ञों का स्तर बिल्कुल घटिया हो गया है और उनका सम्मान मिटता जाता है।

इस आपत्तिकाल में मार्क्स की पत्नी ने जिस धैर्य और आत्म-त्याग का परिचय दिया, वह अद्वितीय था। वह एक रईस घर की पुत्री थी और उस समय भी उसका एक भाई जर्मनी के मंत्रिमंडल का सदस्य था। पर उसने कभी घोर दरिद्रता या अभाव से घबड़ाकर मार्क्स की शिकायत नहीं की और न अपने भाग्य को कभी उसके साथ विवाह होने के लिए कोसा। वह स्वयं और घर के दूसरे सब लोग मार्क्स का हार्दिक सम्मान करते थे और कभी किसी ने इस बात की इच्छा तक प्रकट न की कि वह अपना कार्यक्रम बदलकर धन कमाने के लिए कोई दूसरा काम करे। मार्क्स की पत्नी वास्तविक अर्थों में उसकी सहधर्मिणी थी। वह सदा प्रसन्नचित्त रहती थी और मार्क्स को भी सदा चिंताओं से बचाने का उपाय करती थी। वह ऐसी व्यवहारकुशल थी कि मार्क्स से मिलने आने वाले समस्त परिचित इष्ट मित्र और अनुयायी उसको बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। मार्क्स को भी उसकी बुद्धि पर बड़ा भरोसा था, यहाँ तक कि वह अपने लेखों और पुस्तकों की पांडुलिपियाँ भी उसको दिखला लेते थे।

मार्क्स के छह संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें से दो लड़कों का और एक लड़की का बचपन में ही देहांत हो गया। इनकी मृत्यु का एक कारण मार्क्स की कंगाली भी थी। जब उसके 'मूशा' नामक लड़के का देहांत हुआ, उस समय घर में उसकी अंत्येष्टि के लायक भी रुपया न था। उसकी पत्नी पड़ोस में रहने वाले एक फ्रांसीसी

श्रमजीवी के यहाँ गई, जिसने उसे दो पौंड उधार दिये। तब उसे दफनाने के लिए शवाधार (संदूक) और दूसरी सामग्री खरीदी गई। अगर मार्क्स के पास अपने पुत्र का इलाज और परिचर्या कराने लायक काफी पैसा होता, तो बहुत संभव था कि इस प्रकार उसकी अकाल मृत्यु न हो जाती।

हमारे देश में भी परोपकार और सेवा के लिए सर्वस्व और प्राण तक अर्पण करने वालों तक की कमी नहीं रही है। पर खेद है कि आज उसी देश के सामान्य ही नहीं, बुद्धिमान् कहलाने वाले भी अब केवल स्वार्थसाधन में डूबे हुए हैं। अगर हम कार्लमार्क्स के जीवन से शिक्षा ग्रहण करें, तो समाज का तथा अपना बहुत कल्याण कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन—

यद्यपि मार्क्स के जीवनकाल में उद्योग-धंधों तथा आवागमन के साधनों का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था कि किसी बहुत बड़े और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संगठन की कल्पना साकार हो सकती, तो भी उसने अपनी दूरदृष्टि से इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता और उसके लाभों को समझ लिया और उसी समय उसका बीजारोपण कर दिया।

यद्यपि इस संघ की स्थापना का विचार आरंभ में कुछ अंग्रेज और फ्रांसीसी श्रमजीवी नेताओं ने किया था, पर शीघ्र ही उसकी बागडोर मार्क्स को सौंप दी गई, क्योंकि वह इस विषय में सबसे अधिक जानकार और उत्साह रखने वाला था। अतः २८ सितंबर, १८६४ को जब 'अंतर्राष्ट्रीय-श्रमजीवी-संघ' (इंटरनेशनल वर्किंगमैनस एसोसिएशन) की स्थापना हुई, तो मार्क्स ही उसमें प्रमुख वक्ता और संस्था के सिद्धांतों का प्रतिपादक था। उस समय योरोप में और भी कई प्रकार के साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार हो चुका था, पर मार्क्स के सिद्धांत मजदूरों हितों के सबसे अधिक अनुकूल थे। इंग्लैंड के मजदूरों के इतिहास और उनकी सामाजिक दशा में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का विवेचन करते हुए अंत में मार्क्स ने उच्च स्वर से घोषणा की—

“गरीबों के स्वत्व अपहरण करने वालों का अंतिम समय अब पास आ पहुँचा है। पूँजीवाद अपनी अंतिम सीमा पर पहुँच रहा है और उसके बाद उसके नाश में किसी तरह का संदेह नहीं। व्यापार और उद्योग-धंधों में ही नहीं, वरन् कृषि-कार्य तक पूँजीवाद जा पहुँचा है और जमीन पर अधिकार रखने वालों की संख्या और प्रभाव दिन पर दिन घटता जाता है। उधर व्यवसाय क्षेत्र में श्रमजीवी अपनी शक्ति बढ़ाते जाते हैं और अंत में उनकी विजय निश्चित है।”

मार्क्स ने ये उद्गार डेढ़ सौ वर्ष पहले प्रकट किये थे। तब से अब तक श्रमजीवी दल की शक्ति निस्संदेह बहुत बढ़ गई है और लगभग आधी दुनिया में वे संचालक और निर्णायक की हैसियत से काम करने लग गये हैं। पर अभी मार्क्स का स्वप्न शत-प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है। आज का पूँजीवादी वर्ग भी उस युग की अपेक्षा बहुत बदल गया है और अपनी शक्ति को यथासंभव संगठित करके अपने अस्तित्व की रक्षा में प्रयत्नशील है। तो भी दुनिया का रुख इस समय यही जान पड़ता है कि मार्क्स के कथनानुसार अब संसार में से व्यक्तिगत पूँजी का अधिकार निरंतर घटता जायेगा और सामाजिक पूँजी की प्रणाली उसका स्थान ग्रहण करती जायेगी।

साम्यवाद का लक्ष्य—

जो लोग समझते हैं कि कम्यूनिज्म अथवा साम्यवाद का आशय मजदूरों और कर्मचारियों का वेतन अधिकाधिक बढ़वाना अथवा बड़े धनवानों की संपत्ति को सबमें बराबर बँटवाना है, वे वास्तव में इस सिद्धांत से अनजान ही हैं। इस प्रकार सौ धनवानों से यदि दस अरब रुपया छीनकर एक करोड़ गरीबों को एक-एक हजार दे दिया जाय और व्यापार-व्यवसाय की प्रणाली जैसी आज है वैसी ही बनी रहे, तो इससे उन गरीबों का कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। दो-चार वर्ष के भीतर ही वह रुपया किसी अदृश्य तरीके से फिर उन गरीबों के हाथ से निकलकर पुराने या नये पूँजीपतियों के ही पास पहुँच जायेगा। इसलिए साम्यवादी दल संपत्ति के विभाजन की माँग नहीं करता, वरन् उसका अंतिम लक्ष्य यह है कि समस्त संपत्ति, वह चाहे चल या अचल किसी रूप में क्यों न हो, समस्त

समाज की समझी जाय और उसकी तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को न्यायानुसार वितरण की जाय।

श्रमजीवियों की इस प्रकार की न्याययुक्त माँगों का अक्सर पूँजीवादी विरोध किया करते हैं। उनका कहना है कि मजदूरों के साथ इस तरह की रियायतें किये जाने और उनकी माँगों को मानते जाने से उद्योग-धंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्र की शक्ति तथा प्रभाव नष्ट हो जायेंगे। मार्क्स ने अपने भाषण में कहा कि "इंग्लैंड के मजदूरों ने तीस वर्ष तक आश्चर्यजनक सहनशक्ति का परिचय देते हुए, जो संघर्ष किया, उसके फलस्वरूप वे कारखानों में दस घंटे काम होने का कानून पास करा सके। अब हर एक आदमी यह स्वीकार करने लगा है कि मजदूरों की शारीरिक, चरित्र संबंधी और मानसिक दृष्टि से यह कानून बड़े महत्त्व का है। इस कानून से मजदूरों का जो प्रत्यक्ष हित हुआ है, उसके सिवाय और भी बहुत से आश्चर्यजनक फल इससे प्राप्त हुए हैं।

"इससे पहले पूँजीवादियों के अर्थशास्त्रज्ञ कहा करते थे कि यदि कानून द्वारा मजदूरों से काम कराने की सीमा बाँध दी जायेगी तो देश के उद्योग-धंधों का नाश हो जायेगा। यह 'उद्योग-धंधा' एक ऐसा दैत्य है, जो मनुष्यों के खून—विशेषतः बालकों और स्त्रियों के खून से पुष्ट होता है। इस कानून के बन जाने से केवल पूँजीपतियों के लालच और मुनाफे में ही बाधा नहीं पड़ती, वरन् यह मजदूरों के सिद्धांत की विजय होती, क्योंकि पूँजीवाद के पक्षपाती अर्थशास्त्रकारों का मत था कि व्यापार में जिस तरह से मुनाफा हो सके, उसी तरह काम किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ साम्यवादियों का कहना था कि उद्योग धंधों की व्यवस्था समाज के हित की दृष्टि से होनी उचित है। दस घंटे से अधिक काम न करने का कानून बना दिये जाने से पूँजीवादी अर्थशास्त्र का खंडन कर दिया गया और मजदूरों के अर्थशास्त्र की विजय हो गई।"

फ्रांस की श्रमजीवी क्रांति—

सन् १८७० में जर्मनी और फ्रांस का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन

लोगों को जर्मनी ने कैद किया, उनमें फ्रांस का सम्राट् लुईस बोनापार्ट भी था। ४ सितंबर को फ्रांस में राज्य सत्ता का अंत हो गया और उसके स्थान में प्रजातंत्र की घोषणा की गई। इस अवसर पर 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी-संघ' के फ्रांसीसी सदस्यों ने पेरिस में श्रमजीवी क्रांति करके मजदूर-दल का शासन स्थापित करने की योजना बनाई। मार्क्स ने इस कार्य को असामयिक बतलाया, क्योंकि प्रगतिशील शक्तियों में पारस्परिक मतभेद और पार्थक्य होने से उनके शत्रुओं तथा पूँजीवादी शक्तियों की सफलता मिलने की संभावना बढ़ती थी। उस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संघ की जनरल कौंसिल के सामने भाषण देते हुए मार्क्स ने कहा—

“इस प्रकार की कार्यवाही से फ्रांस के श्रमजीवी अपने लिए एक बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर लेंगे। जिस समय शत्रु (जर्मनी) पेरिस के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, उस समय नवीन प्रजातंत्र सरकार को उलटने के लिए किसी प्रकार की चेष्टा करना मूर्खतापूर्ण होगा। फ्रांस के श्रमजीवियों को इस अवसर पर नागरिक की हैसियत से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और पुरानी घटनाओं को भूल जाना चाहिए। हमारा काम भूतकाल को दुहराना नहीं, वरन् भविष्य का निर्माण करना है। उनको उचित है कि वर्तमान प्रजातंत्र शासन में जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनसे अधिक से अधिक लाभ उठावें, जिससे दल का संगठन खूब मजबूत बन सके। इससे उनको अजेय शक्ति प्राप्त होगी और आगे चलकर वे फ्रांस को पुनर्जीवित कर सकेंगे और अपने मूल उद्देश्य अर्थात् श्रमजीवियों के उद्धार को भी पूरा कर सकेंगे।”

मार्क्स की यह बुद्धिमत्तापूर्ण सम्मति फ्रांस के श्रमजीवियों को ही नहीं, सभी देशों के प्रगतिशील जनजाग्रति के नेताओं के लिए अनुकरणीय है। जिस समय किसी शक्तिशाली विरोधी से संघर्ष हो रहा हो, तब एक मार्ग के पथिक कहलाने वालों का छोटे-मोटे मतभेदों के कारण आपस में फूट और कलह करना उचित नहीं। इससे प्रायः लाभ के स्थान में हानि की ही संभावना अधिक रहती है। कारण यही कि आरंभ में नये दल वालों के साधन तथा शक्ति

सीमित होती है, जबकि पुराने दल के साधन जगह-जगह 'रिजर्व' (संचित) अवस्था में पड़े होते हैं और वह मौका पाकर उनको इकट्ठा करके फिर अपनी सफलता के लिए उद्योग कर सकता है। ऐसे अवसर पर जन-आंदोलन के कार्यकर्ताओं को धैर्य, समझदारी और उदारता से ही काम लेना चाहिए और व्यक्तिगत अधिकार लिप्सा अथवा अहंकार के वशीभूत न होकर देश तथा समाज के हित को प्रमुखता देनी चाहिए।

पर जब फ्रांसीसी श्रमजीवी नेताओं ने जोश और देशभक्ति के प्रवाह में पड़कर फ्रांस की प्रजातंत्र सरकार का तख्ता पलट दिया और पेरिस में साम्यवादी शासन कायम कर दिया तो मार्क्स ने उनका विरोध करने के बजाय एक साथी की हैसियत से उनके साथ हर तरह से सहयोग किया। 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी-संघ' के पास उस समय इतनी शक्ति तो न थी कि वह पेरिस के 'कम्यून' की रक्षा कर सकता, पर इस कठिन अवस्था में उसने अपने कर्तव्यपालन से मुँह न मोड़ा। यह सर्वप्रथम साम्यवादी शासन केवल सात सप्ताह तक जीवित रहा और उसके बाद पूँजीपति और उनके साथियों ने पेरिस के इस श्रमजीवी शासन और कर्ता-धर्ताओं को बुरी तरह कुचल दिया और साथ ही मार्क्स द्वारा संचालित 'अंतर्राष्ट्रीय-संघ' भी योरोप के सब देशों में एक गैर-कानूनी संस्था समझा जाने लगा। कुछ समय पश्चात् उसने इस ऐतिहासिक संघर्ष के संबंध में एक पुस्तिका 'फ्रांस में गृहयुद्ध' के नाम से लिखी, जिसमें उसने मानवीय स्वाधीनता के इन दीवानों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार के अत्यंत महत्त्वपूर्ण उद्गार निकाले थे—

"पेरिस के श्रमजीवी और उनका 'कम्यून' अनंतकाल तक एक नवीन समाज के गौरवशाली अगुआ मानकर स्मरण किये जायेंगे। इन शहीदों का मंदिर श्रमजीवी दल के विशाल हृदय में बन चुका है।"

इस घटना के लगभग पचास साल बाद रूस के श्रमजीवी दल ने भी अपने देश में पेरिस के 'कम्यून' की तरह क्रांति करके ही प्रजातंत्र को हटाकर साम्यवादी शासन का जयघोष किया था। इस

बीच में मार्क्स के सिद्धांतों का प्रचार सब देशों में हो चुका था और रूसी श्रमजीवी क्रांति का संचालक लेनिन 'मार्क्ससिस्ट' सिद्धांतों का अद्वितीय ज्ञाता और उनको व्यावहारिक रूप देने में कुशल था। इस बार भी संसार के पूँजीपतियों ने एक होकर श्रमजीवी क्रांति को कुचलने का पूरा प्रयत्न किया। पर लेनिन के लौह-संकल्प और समस्त देशों के श्रमजीवी-दल के समर्थन के फलस्वरूप वह उस अग्निपरीक्षा में से सफल होकर निकल आया। तब से रूस संसार के श्रमजीवियों की विजय-यात्रा के आगे-आगे रक्त ध्वजा को लेकर निरंतर अग्रसर होता जाता है। यह आश्चर्यजनक चमत्कार मार्क्स द्वारा लगाए पौधे का ही है, जिसे उसने अपने हृदय के रक्त से सींचा था।

भारतवर्ष और मार्क्स

मार्क्स ने भारतवर्ष के संबंध में भी कुछ लेख अमेरिकन अखबारों में छापे थे। यद्यपि उस समय सन् १८५७ का गदर समाप्त ही हुआ था और उसकी प्रतिक्रिया से इस देश की हालत बड़ी हलचलपूर्ण हो रही थी। उसने अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ की स्थिति पर विचार किया। यद्यपि भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ के प्राचीन ढंग के विद्वान् समाज के केवल आर्थिक या सामाजिक आधार पर किये गए विवेचन को महत्त्वपूर्ण नहीं समझते तो भी वर्तमान-युग में जबकि 'अर्थ' की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है और संसार पर उसकी सत्ता स्थापित हो चुकी है, इन सिद्धांतों को समझना और उनको अपने अनुकूल बनाकर लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है।

हमारे 'भाग्यवादी' देश में बहुत कम लोगों ने इस बात पर विचार किया है और समझा है कि 'संपत्ति' का उत्पादन किन साधनों द्वारा संभव होता है और उनमें सबसे अधिक महत्त्व—श्रेय किसका है ? जब तक इस विषय में हमारे विचार स्पष्ट न हो जाएँ तब तक हम समाज के समयानुकूल संगठन करने और उसमें वर्तमान समय में पाये जाने वाले दोषों का निराकरण करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए नीचे हम संक्षेप में मार्क्स के सिद्धांतानुसार यह बतलाना

चाहते हैं कि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का वास्तविक आधार क्या होता है ? उसके पश्चात् भारतवर्ष की स्थिति से उसका कहाँ तक संबंध हो सकता है, इस पर विचार किया जायेगा।

“पूँजीपति स्वयं इस बात को नहीं जानते कि उनको अपने कारबारों में जो नफा मिलता है, वह पूँजी के किसी भाग द्वारा मिलता है या मानवीय उत्पादक शक्तियों द्वारा। पर एक बात वे अवश्य जानते हैं कि बिना श्रमजीवियों-मजदूरों के, उनकी तमाम पूँजी मुर्दे के समान है। उनकी समस्त मशीनें और कच्चा माल बेकार हैं, जब तक कि जीते जागते श्रमजीवी उनका उपयोग करके व्यवहार योग्य वस्तुएँ तैयार न कर दें। इसलिए उनका सबसे अधिक ध्यान मजदूरों से ठीक ढंग से काम कराने पर ही रहता है। पुराने-जमाने में जब कि मशीनों की उन्नति बहुत कम हुई थी और ज्यादातर काम हाथ से ही किया जाता था, तब तो श्रमजीवियों का महत्त्व सर्वाधिक था। उस समय श्रमजीवी पूरी तरह से वेतन पाने वाले गुलाम नहीं बन गये थे, वरन् वे कारीगर और दस्तकार थे। यदि सुविधा होती तो स्वतंत्र रूप से छोटा-मोटा व्यवसाय कर सकते थे। पूँजीपति उसको नौकर रखकर उनके श्रम और योग्यता से लाभ उठाता था। उसका ध्यान सदा इस बात पर रहता था कि उनसे अधिक से अधिक समय तक काम कराके ज्यादा से ज्यादा माल तैयार कराया जाय, जिससे भरपूर नफा मिल सके।”

जिस समय मार्क्स ने पूँजीवाद के स्वरूप, क्रम, विकास और परिणामों पर उपर्युक्त शब्द लिखे थे, उस समय भारत तो क्या योरोप में भी कल-कारखानों का विकास और यंत्रों की उन्नति बहुत कम हुई थी। कुछ आंदोलनकारियों के प्रयत्नों से मालिकों और मजदूरों में संघर्ष उत्पन्न हो गया था, पर समस्त शक्ति और साधन पूँजीपतियों के ही हाथ में थे। उस समय की सरकारें भी यही चाहती थीं कि देश में उद्योग-धंधों की खूब उन्नति हो, जिससे राज्य की आमदनी बढ़े। इसलिए वह भी पूँजीपतियों की ही सहायक और समर्थक थी। पर मार्क्स ने अपने अर्थशास्त्र संबंधी ज्ञान तथा दूर दृष्टि के आधार पर भावी परिवर्तनों का बहुत कुछ सही अनुमान कर

लिया। यह कम प्रशंसा की बात नहीं है कि मार्क्स के लिखने के डेढ़ सौ वर्ष बाद आज हम उसी क्रम से पूँजीवाद का हास (कैपिटलिज्म) और साम्यवाद (कम्यूनिज्म) का उदय होते देख रहे हैं। यद्यपि अब भी पूँजीवाद का बाह्य रूप बड़ा विशाल और शक्तिशाली प्रतीत होता है, पर सत्य यही है कि उसकी जीवनी-शक्ति समाप्त हो चुकी है। जैसाकि मार्क्स ने लिख दिया था कि, पूँजीवाद के नाश का बीज उसके भीतर ही निहित है, उसी के अनुसार विभिन्न देशों के पूँजीपतियों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के नाम पर विश्वयुद्धों का सिलसिला जारी करके अपनी कब्र आप ही खोदी है। इने-गिने वर्षों में ही उसका पूरी तरह अंत होना हम देख लेंगे।

“इस बीच कारखानों के भीतर भी मामला ठंडा न था। काम करने के घंटों के बढ़ने और अधिक तेजी से काम करने के कारण शक्ति का अधिक व्यय होने से श्रमजीवियों में असंतोष फैलने लगा और वे संगठित होकर अपनी दशा सुधारने की चेष्टा करने लगे। श्रमजीवियों के इस आंदोलन और साथ ही विज्ञान तथा यंत्रकला की उन्नति के फल से नई-नई मशीनों, इंजनों, बिजली के यंत्रों आदि के आविष्कार होने लगे और इस प्रकार बड़े-बड़े कारखानों की नींव पड़ी।”

“इस प्रकार देखते-देखते समाज में एक ऐसा व्यापक परिवर्तन हो गया, जैसा पहले देखने में न आया था। समाज की कितनी ही श्रेणियाँ (जातियाँ), जो दस्तकारी और कारीगरी द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक अपनी रोजी कमाती थीं। एक दम नष्ट हो गईं और उनकी गिनती मजदूरों में होने लगी। खेती की दशा भी बदलने लगी और बड़े-बड़े जमींदारों ने मामूली जमीन को भी काम में लाना शुरू कर दिया और स्वतंत्र किसान मजदूर बनने लगे। धीरे-धीरे गाँवों की जनसंख्या घटने लगी और शहरों की आबादी बढ़ने लगी। इस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन के फल से समाज स्पष्ट दो हिस्सों में बँट गया था—एक तो पूँजीपति और दूसरे श्रमजीवी।”

“कुछ समय पश्चात् श्रमजीवी तथा समाज की अन्य श्रेणियाँ पूँजीपतियों का विरोध करने लगीं कि उनकी शोषण-प्रवृत्ति लोगों के

स्वास्थ्य का नाश कर रही है, इसलिए श्रमजीवियों से नियमित समय से अधिक काम नहीं कराना चाहिए। बहुत कुछ आंदोलन के पश्चात् सरकार ने काम करने का समय घटा दिया और कानून बना दिया कि मजदूरों से इससे अधिक काम न लिया जाय। इस कारण पूँजीपतियों का नफा घटने लगा। पर शीघ्र ही मशीनों की आश्चर्यजनक उन्नति होने लगी और मजदूरों को लाचार होकर तेजी से काम करना पड़ा, जिससे उन पर काम का दबाव अधिक पड़ने लग गया।”

यद्यपि भारतवर्ष में विदेशी शासन के कारण उद्योग-धंधों का विकास उतनी तेजी से और उस रूप में नहीं हो सका, जैसाकि योरोपीय देशों में हुआ, तो भी अंग्रेजी हकूमत के जमाने में ही विदेशी और देशी पूँजीपतियों ने इस देश में रुई, जूट, लोहा, चमड़ा, चीनी, सीमेंट आदि कई प्रकार के बड़े-बड़े कारोबार स्थापित कर लिए। इसके फल से यहाँ भी बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर जैसे नगरों में मजदूरों की भरमार हो गई और लोग गाँवों के स्वास्थ्यप्रद वातावरण को त्यागकर शहरों की गंदी गलियाँ और अंधेरी कोठरियों में रहने लगे। आरंभिक समय में यहाँ भी मजदूरों से काम कराने के समय के कोई नियम न थे और कारखानों के मालिकों ने उनके द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाना ही अपना लक्ष्य बना रखा था। पर शीघ्र ही यहाँ भी 'मजदूर आंदोलन' का जन्म हुआ, उनके संगठन बनने से बड़ी-बड़ी हड़तालें और संघर्ष हुए और आज मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानून-बना दिये गये हैं। अब मजदूरों में इतनी 'वर्ग-चेतना' उत्पन्न हो गयी है और उनके संगठन इतने मजबूत हो चुके हैं कि कारखानों के मालिक प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते।

अब देश के नेता तथा शासक यह भी अनुभव करने लग गये हैं कि जब तक उत्पत्ति के साधनों—पूँजी और मशीनों पर लोगों का व्यक्तिगत अधिकार रहेगा और उनका उद्देश्य किसी प्रकार अधिक से अधिक नफा प्राप्त करना बना रहेगा, तब तक साधारण जनता की अवस्था सुधर नहीं सकती और पूँजीपति किसी न किसी प्रकार

उसको अन्यायपूर्ण ढंग से लूटते ही रहेंगे। इसलिए अब सरकार बीमा कंपनी और बैंक जैसे पूँजी के मुख्य स्थानों पर अधिकार और नियंत्रण कर रही है और जो कारखाने अपनी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर सकते, उनका प्रबंध भी अपने हाथों में ले रही है। ये परिवर्तन मार्क्स के सिद्धांतों के अनुकूल ही हैं। यद्यपि अभी यहाँ पूँजीपतियों तथा श्रमजीवियों का संघर्ष अंतिम दर्जे पर नहीं पहुँचा है, पर अब श्रमजीवी-दल की शक्ति, उसकी प्रधानता बढ़ती जायेगी इसमें संदेह नहीं।

जीवन के अंतिम दिन—

जीवन के अंतिम बारह वर्षों में मार्क्स को निरंतर बीमारी और रोगों से संग्राम करना पड़ा। इसका मुख्य कारण यह था कि 'कैपिटल' के लिखने और श्रमजीवी आंदोलन के प्रचार-कार्य में वर्षों तक वह लंदन के 'ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय' में बैठकर सोलह घंटे प्रतिदिन अध्ययन करता रहा। इसके सिवाय रात में प्रायः जो लिखने का काम करता था, वह इससे अलग था। इस प्रकार अमानुषीय परिश्रम करने पर भी वह 'कैपिटल' महाग्रंथ को अपने जीवनकाल में पूरा प्रकाशित न कर सका। इस संबंध में उसने अपने एक अमेरिकन मित्र को भेजे गये पत्र में लिखा था—“जिस काम के लिए मैंने स्वास्थ्य, सुख और परिवार का बलिदान कर दिया, वह भी पूरा न हो सका।”

स्वास्थ्य सुधार के लिए जब उसके मित्रों ने विशेष जोर दिया तो वह दो-तीन बार 'कार्लसवाद' जाकर रहा, जो योरोप का एक प्रसिद्ध स्वास्थ्यकर स्थान है। इसके फलस्वरूप १८७७-७८ में उसकी हालत कुछ सुधर गई। तब वह फिर कैपिटल के दूसरे भाग को क्रमपूर्वक रखकर उसे छापने लायक बनाने में परिश्रम करने लगा। पर इससे इसकी दशा फिर बिगड़ गई और लोगों ने समझ लिया कि अब इसकी काम कर सकने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इन दिनों उसका प्रभाव इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में बराबर बढ़ता जाता था और अनेक सुप्रसिद्ध साम्यवादी नेता उसके सिद्धांतों का प्रचार जोरों से कर रहे थे और उसके पक्ष तथा विपक्ष में अनेक संस्थाओं की

स्थापना की जा रही थी। पर जिस व्यक्ति के नाम पर ये सब कार्य किये जा रहे थे, वह स्वयं बरबाद हो चुका था। उसके जीवन काल में लोगों ने उसके मूल्य को नहीं समझा और उसके परिश्रम का उसे कुछ भी पुरस्कार न मिला। 'कैपिटल' के लिखने में उसने करीब चालीस वर्ष परिश्रम किया और परिश्रम भी ऐसा कि जिसे मार्क्स के समान ही कोई व्यक्ति कर सकता था। पर इसके बदले में उसे क्या मिला ? उसे इस पुस्तक का जो कुछ परिश्रम मिला, वह इतना कम था कि एक छोटे से छोटा मजदूर भी चालीस वर्ष में उससे कहीं अधिक कमा लेता।

अंत में १४ मार्च, १८८३ को ६५ वर्ष की आयु में मार्क्स ने इस संसार को त्याग दिया। मरते समय तक एंजिल्स उसके साथ था और उसकी हर तरह से देखभाल करता रहा। उसी ने मार्क्स का देहांत हो जाने के बाद 'कैपिटल' के शेष दोनों भागों को ठीक करके प्रकाशित कराया। मार्क्स के अंतिम संस्कार के समय उसने शोकाकुल अवस्था में कहा—

“आज मनुष्य-जाति एक बड़े महत्त्वपूर्ण मस्तिष्क से रहित हो गई। जिस प्रकार डार्विन ने जीव-जगत् के विकास सिद्धांत का आविष्कार किया, ठीक उसी प्रकार मार्क्स ने मनुष्य जाति के इतिहास के विकास संबंधी नियम का पता लगाया। यह नियम बिल्कुल सहज और स्वाभाविक है, पर अब तक यह आदर्शवाद के घटाटोप में छिपा हुआ था। मार्क्स ने सामाजिक प्रजातंत्रवाद को एक मत या सिद्धांत के बजाय एक जीवित सत्य बना दिया, जो आज बिना हार माने युद्ध कर रहा है और अंत में अवश्य विजयी होगा।” मार्क्स ने अपनी योग्यता और शक्ति का उपयोग मानव-जाति के हितार्थ में किया। वह स्वयं जन्मभर गरीबी में अभावग्रस्त दशा में रहा, पर उसने करोड़ों दीन-हीन व्यक्तियों के उद्धार का रास्ता खोल दिया। ऐसे ही परमार्थ में जीवन अर्पण करने वाले ऋषि और मुनि कहलाने के अधिकारी होते हैं।

मुद्रक—युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा।